राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 ~~/2018~~ / रे0वाद / 02/2014

निर्णय दिनांक :- 26.08.2019

अनवान

1. श्री जगासिंह पिता गंगासिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
2. श्री जैत सिंह पिता जगासिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
3. श्री रूपसिंह पिता जगासिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
4. श्री धन्नासिंह पिता जगासिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
5. श्री प्रकाशसिंह पिता जगासिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति मिश्रीदेवी बेवा प्रेमसिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
2. श्री किशोरसिंह पिता प्रेमसिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
3. श्री कानसिंह पिता नाहरसिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
4. श्री गणेशसिंह पिता नाहरसिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
5. श्री पप्पूसिंह पिता नाहरसिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
6. श्री सोहनसिंह पिता नाहरसिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
7. श्री सोहनसिंह पिता खीमसिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
8. श्री लक्ष्मणसिंह पिता खीमसिंह रावत आयु नाबालिग निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
9. श्री भगवानसिंह पिता खीमसिंह रावत आयु नाबालिग निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
10. श्री अर्जुनसिंह पिता भैरूसिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
11. श्री भंवरसिंह पिता भैरूसिंह रावत निवासी राजा का ढाणा तहसील देवगढ़
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़

——प्रत्यर्थीगण

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवगढ़

वाद अन्तर्गत धारा 88 – 188 आर.टी.ए.

उपस्थित :– 01. श्री राजूसिह वकील वादी

वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत निर्णय एवं डिकी में संशोधन कराने का पेश किया जिस पर पत्रावली तलब हो पेश हुई। वादी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया हैं कि न्यायालय सहायक कलक्टर देवगढ़ से प्रकरण में दिनांक 14.01.2019 को निर्णय पारित हो चुका हैं। किन्तु आराजी नम्बर 68,70,90,92 बाबत निर्णय नहीं होने वादीगण ने राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के न्यायालय में अपील पेश की। राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के न्यायालय से दिनांक 24.11.2010 को निर्णय पारित हो पत्रावली इस न्यायालय में रिमाण्ड कर मौके पर कब्जा होने पर अपीलार्थीगण को खातेदार घोषित करने बाबत निर्देश प्रदान किये जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार देवगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार देवगढ़ ने कमिश्नरी रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 तक का कब्जा आराजी नम्बर 62,64,65,66,67,69,79,80,83,84,1968/115 के सम्पूर्ण रकबे पर प्रतिवादी का कब्जा हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 81,82,90 एवं 92 पर हैं। जिसपर दोनो पक्षो का बराबर बराबर कब्जा काश्त हैं। इसके अलावा आराजी नम्बर 77 में वादी एवं प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा हैं जिसमें वादी का 1/6 व प्रतिवादी का 1/6 हिस्सा हैं। आराजी नम्बर 100 में वादी व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा हैं व जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा उपयोग में ले रहे हैं। आराजी नम्बर 68,75,76,78,70,102 के सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण का कब्जा हैं। एवं आराजी नम्बर 81,82,90 एवं 92 पर दोनो पक्षों का 1/2, 1/2 हिस्सा हैं। आराजी नम्बर 68,70 पर वादीगण का कब्जा हैं तथा आराजी नम्बर 90,92 पर वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/2,1/2 हिस्से पर काबिज होने से वादीगण को आराजी नम्बर 90 एवं 92 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं। साथ ही आराजी नम्बर 68 व 70 पर वादीगण का कब्जा हैं अतः आराजी नम्बर 68 व 70 का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। निर्णय दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द